न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 196/2017

लाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
वादीगण

बनाम

णेश पुत्र रायमल जाति जाट निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
सराज पुत्र गोपाल जाति रावत निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
तहसीलदार महोदय, भिनाय तहसील कार्यालय भिनाय जिला अजमेर
प्रतिवादीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण ने इस वाद में सारांक्षतः निवेदन किया है कि ग्राम राममालिया पटवार हल्का लेया, भू. अभिलेख निरीक्षक धांतोल तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजीयात ी संवत् 2071–2074 के खाता सं. 345 में दर्ज खसरा नं. 9/2382 रकबा 0.40, 30 3.07, 31 रकबा 0.74, 32/2620 रकबा 0.28, 35/2445 रकबा 0.40 कुल किता 5 रकबा ;0 वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 2 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात हैं जिसमें एवं प्रतिवादीगण का बराबर–बराबर 1/3 हिस्सा निहित हैं। इसी अनुसार वादी एवं दीगण कब्जे काश्त चले आ रहें हैं। अतः भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न न बाबत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया हैं। जिसे स्वीकार कर पक्षकारान का –अलग खाता कायम करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। पत्रावली । लोक अदालतःन्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत राममालिया में पेश हुई। स्वयं उपस्थित। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 स्वयं उपस्थित। उभयपक्षकारान ने लोक अदालत वना से प्रेरित होकर बैंच सदस्यों के समक्ष राजीनामा पत्र प्रस्तुत कर प्रस्तुत वाद स्वीकार जाकर मौके एवं रिकॉर्ड अनुसार विभाजन किए जाने बाबत् सहमति प्रकट की। बैंच ां द्वारा उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते परिस्थित पक्षकारान का निवेदन न्यायोचित होने से स्वीकार किए जाने का निर्णय लिया अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री दी जाकर तहसीलदार को आदेश दिए जाते है कि उभयपक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अनुसार हिस्से का बंटवारा कर पृथक–पृथक लगान व खाते कायम करें। यथानुसार तदार भिनाय बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत करें।

र्णय सरे इजलास आज दिनांक 11.05.2018 को लोक अदालत शिविर में सुनाया गया।

सदस्य
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

सदस्य
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

अध्यक्ष
लोक अदा...
उपखण्ड-...

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.02.28 14:03:48 IST
Reason: SelfAttested